



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

पत्रांक
प्रेषक,

पटना, दिनांक:-

आलोक कुमार, भा.व.से.
सदस्य-सचिव

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी

पटना/गया/ पूर्णियाँ/मुजफ्फरपुर/बेगूसराय।

विषय: पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि को ऑनलाईन जमा करने के संबंध में।

महाशय,

सूचित करना है कि कोविड-19 लॉकडाउन अवधि में इकाईयों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि पर्षद् में जमा करने में परेशानी होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके आलोक में पर्षद् के OCMMS के "अतिरिक्त राशि (Additional fee)" जमा करने वाले पेज में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए भी व्यवस्था कर दी गयी है। अब इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के बदले ऑनलाईन भुगतान किया जा सकता है।

अनुरोध है कि आगे से सभी संबंधित इकाईयों को ऑनलाईन माध्यम से ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाय तथा उन्हें इस हेतु आवश्यक सहयोग किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(आलोक कुमार)


सदस्य-सचिव

ज्ञापांक: 2338

पटना, दिनांक:

29.4.2020

प्रतिलिपि: अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज़, पटना/
बिहार ईट निर्माता संघ को सूचनार्थ।

 29/4/20

(आलोक कुमार)

सदस्य-सचिव